"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—— आश्विन 15, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-20/2016/32. —— जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्र 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श पश्चात् राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 4 के उप-नियम (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(पांच) आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सम्मति फीस समयक् रूप से दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग (2)	रुपये (3)
1.	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	35,00,000
2.	रुपये 2500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	30,00,000
3.	रुपये 1000 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2500 करोड़ से कम	25,00,000

(1)	(2)	(3)
4.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	12,50,000
5.	रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	6,25,000
6.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	3,75,000
7.	रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	2,50,000
8.	रुपये 25 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	2,00,000
9.	रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	1,75,000
10.	रुपये 05 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	1,50,000
11.	रुपये 03 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	75,000
12.	रुपये 02 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	7,500
13.	रुपये 01 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 02 करोड़ से कम	5,000
14.	रुपये 1 करोड़ तक	2,500

टीप - उपरोक्त सम्मति फीस में प्रथम वर्ष के लिए सम्मति नवीनीकरण फीस सम्मिलित है."

2. नियम 5 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5) (एक) आवेदक, निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार मंडल की वार्षिक "सम्मति नवीनीकरण फीस" (प्रथम वर्ष की फीस को छोड़कर) का संदाय करेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग (2)	रुपये (3)
1.	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	15,00,000
2.	रुपये 2500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	10,00,000
3.	रुपये 1000 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2500 करोड़ से कम	6,50,000
4.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	3,75,000
5.	रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	2,50,000
6.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	1,75,000
7.	रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	1,25,000

(1)	(2)	(3)
8.	रुपये 25 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	1,00,000
9.	रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	75,000
10.	रुपये 05 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	62,500
11.	रुपये 03 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	50,000
12.	रुपये 02 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	5,000
13.	रुपये 01 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 02 करोड़ से कम	2,500
14.	रुपये 1 करोड़ तक	1,250

(दो) नैसर्गिक संसाधनों से जल प्राप्त करने वाले तथा सरिताओं में बाहिस्त्राव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों से प्रभार्य वार्षिक सम्मति नवीनीकरण फीस तथा सम्मति फीस निम्नानुसार होगी :-

स. क्र. (1)	स्थानीय निकाय (2)	फीस (3)
1.	नगर निगम	रुपये 10,000
2.	नगरपालिका	रुपये 4,000
3.	नगर पंचायत	रुपये 2,000
4.	अन्य	रुपये 1,000

टीप - उपरोक्त सम्मति फीस तथा सम्मति नवीनीकरण फीस, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति आवेदन और सम्मति नवीनीकरण आवेदन, आवेदन के लंबित रहने के कारण बढ़ी हुई फीस के अंतर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त नवीनीकरण आवेदन में, विद्यमान अनुसूची के अनुसार फीस संदाय होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-20/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-10-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 6th October 2016

NOTIFICATION

No. F 1-20/2016/32. — In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (v) of rule 4, the follouring shall be substituted, namely :-

"(v) The application form shall be duly accompanied with the consent fee as per the following Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Industries having an investment of (2)	Rupees (3)
1.	More than Rupees 5000 Crores	35,00,000
2.	More than Rupees 2500 Crores but less than Rupees 5000 Crores	30,00,000
3.	More than Rupees 1000 Crores but less than Rupees 2500 Crores	25,00,000
4.	More than Rupees 500 Crores but less than Rupees 1000 Crores	12,50,000
5.	More than Rupees 200 Crores but less than Rupees 500 Crores	6,25,000
6.	More than Rupees 100 Crores but less than Rupees 200 Crores	3,75,000
7.	More than Rupees 50 Crores but less than Rupees 100 Crores	2,50,000
8.	More than Rupees 25 Crores but less than Rupees 50 Crores	2,00,000
9.	More than Rupees 10 Crores but less than Rupees 25 Crores	1,75,000
10.	More than Rupees 05 Crores but less than Rupees 10 Crores	1,50,000
11.	More than Rupees 03 Crores but less than Rupees 05 Crores	75,000
12.	More than Rupees 02 Crores but less than Rupees 03 Crores	7,500
13.	More than Rupees 01 Crores but less than Rupees 02 Crores	5,000
14.	Upto Rupees 1 Crore	2,500

Note- The above consent fee includes the consent renewal fee for the first year."

2. For sub-rule (5) of rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"(5) (i) The applicant shall pay an annual "Consent renewal fee" (except the fee for the first year) to

the Board as specified in the following Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Industries having an investment of (2)	Rupees (3)
1.	More than Rupees 5000 Crores	15,00,000
2.	More than Rupees 2500 Crores but less than Rupees 5000 Crores	10,00,000
3.	More than Rupees 1000 Crores but less than Rupees 2500 Crores	6,50,000
4.	More than Rupees 500 Crores but less than Rupees 1000 Crores	3,75,000
5.	More than Rupees 200 Crores but less than Rupees 500 Crores	2,50,000
6.	More than Rupees 100 Crores but less than Rupees 200 Crores	1,75,000
7.	More than Rupees 50 Crores but less than Rupees 100 Crores	1,25,000
8.	More than Rupees 25 Crores but less than Rupees 50 Crores	1,00,000
9.	More than Rupees 10 Crores but less than Rupees 25 Crores	75,000
10.	More than Rupees 05 Crores but less than Rupees 10 Crores	62,500
11.	More than Rupees 03 Crores but less than Rupees 05 Crores	50,000
12.	More than Rupees 02 Crores but less than Rupees 03 Crores	5,000
13.	More than Rupees 01 Crores but less than Rupees 02 Crores	2,500
14.	Upto Rupees 1 Crores	1,250

(ii) Annual consent renewal fee and consent fee chargeable from Local Bodies extracting water from natural resources and discharging effluent into systems shall be as under :-

S. No. (1)	Local Bodies (2)	Fee (3)
1.	Municipal Corporation	Rupees 10,000
2.	Municipal Council	Rupees 4,000
3.	Nagar Panchayat	Rupees 2,000
4.	Other	Rupees 1,000

Note- The above consent fee and consent renewal fee shall be applicable from the date of publication of this notification in the Official Gazette :

Provided that, the consent application and consent renewal application received prior to the publication of this notification, shall not be liable for the excess payment of difference of fees owing to pendency of application :

Provided futher that, the renewal applications received prior to the publication of this notification, fees shall be payable according to the existing Schedule."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.